

याच्य उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0:- 3/2019

तारीखरजु:- 18.3.19

निर्णय दिनांक:-


उनवान:- राजेन्द्र बनाम अशोक कुमार

दावा वावत इस्तरारहक अन्तर्गत धारा 88, 136

क फर्द अहकाम

19 प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा एडवोकेट व वैष्णोमाधव शरीक एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत स्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 18.04.2019 को पेश हो।

956-57
18/3/19


उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

18.4.19

प्रार्थी वकील उप0 अर्थात् नं. 1 की ओर से श्री सुरेश पन्द शर्मा Adv. ने, अर्थात् नं. 2 की ओर से श्री राम भरोही गुला Adv. ने तथा अर्थात् नं. 3 की ओर से श्री विष्णु कुमार कश्यप Adv. ने उपस्थिति दर्ज करा कर आगापी सुनवाई तिथी पर बकालतनामा पेश करने का कथन किया। अर्थात् नं. 4 बखर्द सूचना उपस्थित नहीं थी 1.0.19 चुनाव कार्य में व्यस्त थी आइन्दा दिनांक 7.6.19 को पेश हो।

18/4/19
2) 91
उपस्थिति नं-2
तिथी 5.03
18

20.18

वकुलाय उप0 प्रतिवादी नम्बर 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 के बकालतनामा एवं जबाब पेश करने दिनांक 4.7.19 को पेश हो।

47-18

वकुलाय उप0 प्रतिवादी नं. 2 की ओर से श्री राम भरोही गुला Adv. ने बकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3 के वकील उप0 नहीं हैं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 का बकालतनामा एवं प्रतिवादी नं. 1, 2 का जबाब पेश करने दिनांक 9-8-19 को पेश हो।


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
9-8-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कारी/पट्टी पट्टारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 9-9-19 को पेश हो। <i>अहमद</i>
9-9-19	वकुलाय उप०/ अर्थात् नं. 2 का जबाब पेश किया। जबाब की प्रति प्रार्थी वकील ने प्राप्त की। अर्थात् नं. 1 के वकील ने जबाब पेश करने समय पाठ P.O. ला० अज्ञात पर पट्टारे है अर्थात् दिनांक 9-10-19 को पेश हो। <i>अहमद</i>
9-10-19	वकुलाय उप०/ अर्थात् नं. 1 का जबाब पेश किया। जबाब शामिल किया। जबाब की प्रति वकील प्रार्थी ने प्राप्त की। वास्तु बहस दिनांक 13-11-19 को पेश हो। <i>अहमद</i>
13-11-19	वकुलाय उप०/ बहस हेतु समय पाठा। समय दिनांक 16-12-19 को पेश हो। <i>अहमद</i>
16-12-19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 22-1-20 को पेश हो। <i>अहमद</i>
22-1-20	प्राची वकील/वकील समक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रारंभिक प्रार्थना पत्र पत्रावली गतानुसार दिनांक 24-1-20 को पेश हो। <i>अहमद</i>
24-1-20	वकील समक्ष उपस्थित। वकील समक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार का अर्थात् गण को दावा के निस्तार होने तक रिकार्ड की पथास्थिति बने रहने का कथन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी वकील के कथन पर सहमति <i>अहमद</i>

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दर्ज कार्ड। अतः प्रथम पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा स्वीकार
 किया जाकर अग्रार्थीगण को मूल दावा के निस्तारण होने
 तक गुप्त अनैतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 403/0.49, -
 438/999/0.12, 453/0.48, 475/0.85, 476/0.15, 477/0.54,
 468/0.35, 484/0.01, 885/1.11 कुल किता 9 कुल रकबा 4.10 है।
 जो रिकार्ड की प्रथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया
 जाता है। पत्रावली केसल इमारत होकर नम्बर सेकम
 होकर मूल दावा के साथ संलग्न रहे।


 उपजिला कलक्टर
 मेरामीज (करौली)

